



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क्रमांक / स्वा आ अ मा / 2021-22/235

रायपुर दिनांक 26/08/2021

प्रति.

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

छत्तीसगढ़।

विशय- ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कक्षा संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

---000---

उपरोक्त विषयांगत लेख है कि नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है एवं कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में विद्यालयों का संचालन नहीं किया जा रहा है। सत्र 2020-21 में कोरोना महामारी से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाईन कक्षा, मोहल्ला कक्षा एवं अन्य नवाचारी माध्यमों से अध्यापन का कार्य किया जा रहा था। इसे पढ़ई तुंहर दुआर अभियान के नाम से संचालित किया गया था। सत्र 2021-22 हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. पूर्व की भांति ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन किया जाए।
2. मोहल्ला कक्षा/पारा कक्षा का संचालन गत वर्ष की तरह ही किया जावे। मोहल्ला कक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों का चिन्हांकन कर लिया जावे तथा मोहल्ला कक्षा में उपस्थित होने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थित प्रतिदिन ली जाए। उपस्थिति की सख्यात्मक जानकारी का संधारण विकासखण्ड स्तर पर किया जाए तथा पोर्टल में एन्ट्री की जाए।
3. मोहल्ला कक्षा संचालन हेतु शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन आधार पर लगाई जाए।
4. विद्यार्थियों को पढाये जाने वाले विषयों पर प्रतिमाह टेस्ट लिया जाए एवं एसेसमेंट का रिकार्ड स्थानीय स्तर पर रखा जाए। संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक एसेसमेंट का रिकार्ड प्रत्येक विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में भरकर समय-समय पर पालकों को अवलोकन कराये।
5. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु मोहल्ला कक्षाओं का चिन्हांकन विषयवार किया जाए। इस हेतु प्राचार्य समय सारिणी तैयार करेंगे तथा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक हेतु दिये गये उपर दिये गये निर्देशानुसार ही अध्यापन की समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
6. विद्यार्थियों में अध्ययन की निरंतरता बनाये रखने के लिए 'सेतु अभियान प्रारंभ' किया गया है। सेतु अभियान अंतर्गत विद्यार्थियों को एक माह तक उनकी पूर्व कक्षा के विषयवस्तु का अध्यापन कराया जाए। एससीईआरटी द्वारा विकसित सेतु अभियान की समय सारिणी आपको भेजी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त लाउड स्पीकर क्लास, बुलडू के बोल इत्यादि नवाचार का उपयोग भी अध्ययन हेतु किया जावे। उपरोक्त समस्त कार्यवाही कोविड महागारी हेतु समय-समय पर जारी किये गये निर्देश अनुसार सुनिश्चित करे।


आयुक्त

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. शिक्षा मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।



अभ्युक्त

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़